

30/10/19

पत्रावली पेश हुई। वकील वकील हाजिर। मत पेशी पर वकील वकील। जज के 'नोट प्रेस' कर प्रकरण आगे नहीं चलाना जासिर किया। चूंकि वकील/जज प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः प्रकरण के इसी स्तर पर कार्यवाही खारिज की जाती है। फिलहाल फौजदारी शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दफितील दफ्तर हो

